महत्वपूर्ण एवं खास

अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर 8 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। क्रिप्टो करेंसी में धन लगाने पर प्रतिमाह 15 प्रतिशत का लाभ दिलाने का झांसा देकर 8 लाख से अधिक रकम की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मुकेश सोनी 36 वर्ष कैलाभ नगर भनपुरी का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी सुशील साहू, अजय, उमेश पटेल, जयप्रकाश सिंह व लोकेश ने प्रार्थी को क्रिप्टो करेंसी में धन लगाने पर प्रतिमाह 15 प्रतिशत का लाभ दिलाने का झांसा देकर 8 लाख 36 हजार 440 रुपए की ठग लिए। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

मैरिज हॉल का ताला तोड़कर हजारों रुपए के सामान पार

रायपुर (आरएनएस)। आस्था अस्पताल के सामने सेजबहार स्थित निर्माणाधीन मैरिज हॉल का ताला तोडक़र अज्ञात चोर ने हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर सेजबहार पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी नमन गुप्ता 21 वर्ष नयापारा गोलबाजार का रहने वाला है। प्रार्थी ने सेजबहार थाना में शिकायत किया कि उसका निर्माणाधीन मैरिज हॉल आस्था अस्पताल के सामने सेजबहार में है। जिसका ताला तोडक़र अज्ञात चोर ने केबल वायर, कटर मशीन पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 45 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर सेजबहार पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की गई जान

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम उमरिया स्थित बुरहान नाला के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं युवक घायल हो गया। मामले में मंदिरहसौद पुलिस ने बस जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी भूपेन्द्र यादव 19 वर्ष ग्राम पलौद का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपने रिश्तेदार महिला दुलारी बाइक् यादव 45 वर्ष निवासी रीवा को बिठाकर कहीं जा रहा था। तभी ग्राम उमरिया स्थित बुरहान नाला के पास बस क्रमांक सीजी 22 एक्स 6555 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रार्थी को चोट आई है। मामले में पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बस जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की है।

चाकू के साथ दो युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। मौदहापारा पुलिस ने चाकू लेकर आतंक फैलाते दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि स्वीपर मोहल्ला में दो युवक चाकू लेकर आतंक फैला रहे है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी ईशाद खान 19 वर्ष मीरा रात्रे 42 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू जब्त किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस अधिकारियों के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय निर्वाचन प्रशिक्षण का किया गया आयोजन

- कार्यशाला में आचार संहिता का पालन कराने और सुरक्षा प्रबंध समेत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा
- डीआईजी और एसएसपी रायगढ़ ने अधिकारियों को निष्पक्ष रहकर चुनाव सम्पन्न कराने के दिए निर्देश
- वक्ताओं के रूप में एडिशनल एसपी, एसडीएम और एसडीओपी ने दिया वक्तव्य

रायगढ़। दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को पुलिस नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में पुलिस अधिकारियों के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिनस्थ पुलिस अधिकारियों को प्रभावशील आचार संहिता का प्रभावी रूप से पालन कराने एवं सुरक्षा प्रबंध को लेकर की जाने वाली तैयारी के संबंध में मास्टर ट्रेनर के रूप में अपना वक्तव्य दिया गया।

कार्यशाला में रायगढ़ रेंज डीआईजी राम गोपाल गर्ग ने सभी पुलिस अधिकारी व जवानों को निष्पक्ष रहकर चुनाव कार्य संपन्न कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि चुनाव संपन्न करना प्रशासन व पुलिस के चुनौती पूर्ण होता है, रायगढ़ जिले में प्रशासन व पुलिस के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिला है। कार्यशाला में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं आचार संहिता का पालन करें और अपने अधीनस्थ स्टाफ से भी करावें। कार्यशाला का लाभ उठावें तथा इसके अलावा भी कार्यवाही को लेकर किसी प्रकार की दुविधा हो तो किसी भी समय सलाह लिया जा सकता है परंतु कार्यवाही में किसी प्रकार की कोताही न बरती जावे। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराये जाने की अपनी शुभकामनाएं दिया गया।

एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि आने वाले दिनों में पूरी ऊर्जा के साथ पूरा फोकस चुनाव कार्य में लगावें और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में लग जावे, किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने किसी भी प्रकार से अन्य राज्यों से मादक पदार्थ व अवांछित सामग्री जिले में नहीं लाई जानी चाहिए कहकर सभी अधिकारियों को सचेत किये और कार्यवाही बढ़ाए जाने की आवश्यकता बताएं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडिशनल एसपी रायगढ़ संजय महादेवा द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं सुरक्षा प्रबंध के संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन दिवस तथा निर्वाचन के पश्चात पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, तैयारियों के संबंध में अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर विस्तार से सभी जानकारी दिया गया।

रायगढ़ एसडीम गगन शर्मा द्वारा पुलिस अधिकारियों को जिले में प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए संवेदनशील मतदान केन्द्रों की जानकारी देकर उनकी निगरानी, कार्यवाही के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देकर निगरानी फ्लाइंग स्क्वायड, स्थैतिक निगरानी दल की कार्यवाही के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन व पुलिस के अच्छे कोआर्डिनेशन से चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न होगा। प्रशासन व पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है , पुलिस व प्रशासन एक टीम की तरह कार्य कर रहे है ।

एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा कानून व्यवस्था एवं चुनाव दौरान की जा रहे कार्यवाही पर प्रकाश डाला गया और चुनावी अपराधों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया। कार्यशाला के अंत में चुनाव सेल प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल द्वारा डीआईजी रायगढ़, एसएसपी रायगढ़ एवं सभी वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के सभी प्रधान आरक्षक से वरिष्ठतम क्रम के सभी पुलिस अधिकारीगण उपस्थित थे। रक्षित निरीक्षक एवं थाना, चौकी प्रभारियों को थाना, चौकी, रक्षित केन्द्र व विभिन्न शाखाओं में कार्यरत जवानों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये हैं।

पोस्टर-पाम्पलेट छपाई में मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य

- प्रचार-प्रसार की सामग्री में मुद्रित किये जाने वाला मेटर आदर्श आचार संहिता के हो दायरे में
- प्रिंटिंग प्रेस/फ्लेक्स संचालकों की हुयी बैठक

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रिंटिग प्रेस/फ्लेक्स संचालकों की बैठक ली। बैठक में पाण्डेय ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान छापी जाने वाली राजनीतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में लेखा अधिकारी बसंत गुलेरी उपस्थित रहे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पाण्डेय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है। जिसके फलस्वरूप रायगढ़ जिले के 4 विधानसभाओं में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उन्होंने सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में निहित प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में मुद्रण के तीन दिवस के भीतर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि मुद्रित की गई सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री में मुद्रित किये जाने वाला मेटर आदर्श आचार संहिता के दायरे में होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पाण्डेय ने बताया कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पाम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि को छापने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा मुद्रक को घोषणा पत्र भरकर ही आर्डर दिया जायेगा। उन्होंने मुद्रकों से कहा कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर ना लें।

केआईटी पहुंचे कलेक्टर सिन्हा, स्ट्राँग रूम का किया निरीक्षण

- मतगणना कक्ष व मतदान सामग्री वितरण कार्ययोजना के संबंध में अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
- सुरक्षा व्यवस्था व वाहनों के पार्किंग के संबंध में दिए निर्देश

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा आज रायगढ़ केआईटी कॉलेज स्थित स्ट्राँग रूम के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, जिला पंचायत सीईओ जितेन्दर यादव, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने ईवीएम को रखने के लिए तैयार किए जा रहे स्ट्राँग रूम का निरीक्षण करते हुए, सामग्री वितरण के लिए आवश्यक मूवमेंट के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मतदान पश्चात आने वाली सामग्रियों को रखने संबंधी चर्चा भी की। मौके पर उन्होंने मतगणना कक्ष का भी निरीक्षण किए। उन्होंने मतदान दलों, आरओ, ऑपरेटर एवं पुलिस फोर्स के रुकने के संबंध में चर्चा करते हुए अतिरिक्त कमरों के अलावा आवश्यकतानुसार हॉस्टल के उपयोग के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने टॉयलेट, वाशरूम, बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने मतदान दलों के वाहन पार्किंग के संबंध में जानकारी लेते हुए जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सीएमएचओ को स्वास्थ्य सुविधा हेतु केआईटी परिसर में चिकित्सा कक्ष बनाने एवं डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था के निर्देश दिए।

इस मौके पर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, एसडीएम गगन शर्मा, सीएसपी अभिनव उपाध्याय, सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर, ईई पीडब्ल्यूडी आर.के. खाम्बरा, जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह उपस्थित रहे।

अलग-अलग तीन कार्यवाही में 3 आरोपियों से 175 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त

- ओड़िसा से लगे ग्राम टारपाली और भोजपल्ली में चक्रधरनगर पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
- आबकारी एक्ट की गैरजमानतीय धाराओं में आरोपियों पर की गई कार्यवाही

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा मार्गदर्शन पर दिगर राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने थाना प्रभारीगण चेक पोस्ट, बेरियर पर सतत निगरानी के साथ ओड़िसा से लगे बॉर्डर गांव में मुखबिर सक्रिय कर जानकारी ली जा रही है।

सीएसपी अभिनव उपाध्याय द्वारा उनके डिवीजन के थाना प्रभारियों को इस सबंध में सूचनातंत्र मजबूत कर प्रतिदिन मादक पदार्थ पर बड़ी कार्वाई का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में कल दिनांक 10/10/2023 को थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर के लगाये मुखबीर द्वारा ग्राम टारपाली का सरोज निषाद तथा तथा नरोत्तम यादव एवं ग्राम भोजपल्ली का खलील राम खड़िया को अवैध शराब बिक्री के धंधे में लगे होने की जानकारी दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा कल देर रात ही टीम बनाकर ग्राम भोजपल्ली और टारपाली में रेड किया गया। ग्राम टारपाली के नरोत्तम यादव के मकान में दबिश पर आरोपी के कब्जे से 50.05 लीटर महुआ शराब की कीमती 5000 रूपये का बरामद हुआ जिसकी जप्ती की गई है।

ग्राम टारपाली व भोजपल्ली में चक्रधरनगर पुलिस की टीम द्वारा आरोपी सरोज निषाद के घर में दबिश दिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध बिक्री के लिया रखा हुआ 90 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। वहीं भोजपल्ली के खलील खड़िया के पास से पुलिस ने 35 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। इस प्रकार कल और आज मिलकर की गई तीन कार्यवाही में आरोपियों से कुल 175 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती करीब 19,300 रूपये का जप्त कर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अलग-अलग कार्यवाही की गई है। चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाही से क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री में लगे आरोपियों पर हड़कंप मचा हुआ है। शराब रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर प्रशांत राव आहेर, प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, राजश्री वैष्णव, रवि किशोर साय, आरक्षक अभय यादव, चन्द्र कुमार बंजारे, शलैद्र पैकरा,शशिकांत चौहान, रूप्राम साहू, महिला आरक्षक एलिसा टोप्पो की अहम भूमिका रही है।

मानसूनी बादल छंटते ही चिलचिलाती धूप ने किया बेहाल

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। देश के अन्य राज्यों से भी तेजी से मानसून विदा हो रहा है। प्रदेश में मानसूनी बादलों के छंटते ही चिलचिलापी धूप और उमस से लोगों को बेहाल कर दिया है।

देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। उत्तरी राज्यों के अलावा अब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी मानसून की विदाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर मानसून की विदाई 18 अक्टूबर तक हो जाती है। हालांकि इस वर्ष मानसून की विदाई की अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आमतौर पर प्रदेश से मानसून की विदाई इसी माह हो जाएगी। इसके साथ ही हवा की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी और प्रदेश में नवंबर तक ठंड की शुरूआत हो जाएगी। मौसम में अचानक आए बदलाव और बारिश थमने के साथ ही उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। आसमान के साफ होने तथा मानसूनी बादलों के छंटते ही चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दिन में सुबह 10 बजे से ही धूप चुभने लगी है। वहीं दोपहर में एक बार फिर से धूप से जलन का एहसास होने लगा है। फिलहाल लोगों को अब बेसब्री से ठंड का इंतजार है। प्रदेश में आगामी 10 दिनों के भीतर मानसून पूरी तरह से लौट जाएगी और इसके साथ ही हवा की दिशा धीरे-धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी।

ओडिशा बॉर्डर पर लाखों की चांदी जब्त : रायपुर के दो आरोपी गिरफ्तार, 37 किलो चांदी के जेवर और कार जब्त

महासमुंद (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव के मुद्देनजर पुलिस सक्रिय हो गई है. प्रदेश की सभी सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. महासमुंद पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट पर कार को रोककर 2 संदेहियों से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किया है. जब्त 37.600 किलोग्राम चांदी की कीमत 23 लाख रुपए बताया जा रहा है.

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक शेख आरीफ हुसैन के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह (ढ्ढक्क्स्) के निर्देशन में महासमुंद जिले के सभी थाना प्रभारी/चौकी प्रभारियों एवं सायबर सेल की टीम को संदिग्ध

गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था. इसके तहत जिले के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों पर थाना/ चौकी प्रभारियों एवं सायबर सेल की टीम लगातार संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग व तलाशी कर रही थी.

इस दौरान सोमवार को कोमाखान थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंतरराज्यीय चेक पोस्ट टेमरीनाका (छग ओडिशा बॉर्डर) के पास पुलिस पार्टी संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी खरियार रोड, ओडिशा की तरफ से एक वेन डिलवरी वाहन क्रमांक 4332 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी.

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने जारी किया संपत्ति विरूपण संबंधी आदेश

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने जिले में आदर्श आचरण संहिता के दौरान संपत्ति विरूपण के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार.प्रसार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैंए तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके फलस्वरूप शासकीय, अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति, जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में, राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। अतः एतद् द्वारा निर्देशित जाता है कि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, जिले में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा, शासकीय एवम अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में संबंधित नगरीय निकाय ;यथा ,नगर पालिका,नगर पंचायतद्ध, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/ कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर, प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही से जिला निर्वाचन कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ को अवगत कराया जायें। टीम गठित करने का कार्य संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाये। गठित टीम द्वारा संबंधित क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी।

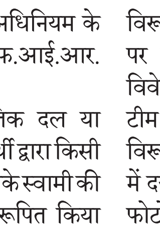

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता हैए तो निजि संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद, गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगी एवं संबंधित थाना प्रभारी द्वारा प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार.प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जायेगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफीध् विडियोगाफी करायेगी।

संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी इस संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन संध्या 4.30 बजे तक अनिवार्यतः जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480